न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी –संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. संख्या 2021/264

निगरानी संख्या 02/2020 तारीख रजू 10.02.2020

श्रीमती मुन्नी देवी पत्नि स्व0 रोहिताश भडभूजा निवासी वार्ड नं0 16, पुरानी कचहरी के पास खण्डार, जिला सवाईमाधोपुर।

......निगरानीकर्ता

बनाम

1. राधागोपाल पुत्र प्रहलाद मथुरिया निवासी खण्डार जिला सवाई माधोपुर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत खण्डार।

............विपक्षीगण

उपस्थित – वकील निगरानीकर्त्ता श्री राधेश्याम वैष्णव एडवोकेट
वकील अप्रार्थी श्री गोविन्द मथुरिया एडवाकेट

निर्णय दिनांक 07.10.2025

निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत खण्डार द्वारा पारित आदेश दिनांक)6.04.2021 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी जिसके द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 राधागोपाल पुत्र प्रहलाद मथुरिया निवासी खण्डार के नाम जारी आलोच्य पट्टा संख्या 24 दिनांक 02.06.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी करने पर उक्त ग्राम पंचायत खण्डार के आलोच्य आदेश को नेरस्त करने हेतु पेश की गई।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी अप्राथीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील निगरानीकर्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि ग्राम पंचायत का निर्णय तथा विपक्षी संख्या 1 को जारी पटटा विधि विरूद्ध तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत ने उक्त निर्णय ग्राम पंचायत की आम सभा में समस्त कोरम के समक्ष पारित नहीं किया विपक्षी संख्या 1 से मिलकर चुपचाप गोपनीय तरीके से पारित [illegible] है जो अवैधानिक होने के कारण निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत ने विपक्षी संख्या 1 के [illegible] पर कोई आपत्ति नोटिस जारी नहीं किया। ग्राम पंचायत ने आपत्ति नोटिस को [illegible] में चस्पा नहीं किया। ग्राम पंचायत ने निर्णय पारित करने से पूर्व प्रार्थीया को कोई नो[illegible] जारी नहीं किया ना ही सुनवाई का अवसर दिया। प्रार्थीया के मकान के पास एक बाडा ग्राम खण्डार में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.12.11 10:39:45 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

स्थित है जिसकी माप उत्तर दक्षिण लम्बाई 40 फीट तथा चौडाई पूर्व पश्चिम 15.5 फीट तथा दक्षिण और 12 फीट है उक्त बाडे पर प्रार्थीया का अपने पूर्वजों के समय से ही कब्जा व स्वामित्व चला आ रहा है। प्रार्थीया ने अपने बाडे में भाड भट्टी बनाकर चने, मूंगफली आदि की सिकाई कर अपने परिवार का पेट पालन करती है, प्रार्थीया के बाडे के पश्चिमी तरफ 8 फीट चौडी गली है जो सार्वजनिक उपयोग की है। विपक्षी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत खण्डार से साजिश कर चुपचाप गोपनीय तरीके से प्रार्थीया के बाडे के पास उक्त विवादित स्थान का पट्टा प्राप्त कर लिया है उक्त विवादित स्थान पर विपक्षी संख्या 1 का मौके पर कोई कब्जा नहीं है। विपक्षी संख्या 1 को जारी पटटा दिनांक 02.06.2021 विधि विरूद्ध जारी हुआ है। ग्राम पंचायत द्वारा फैसले में यह अंकन नहीं किया है कि विपक्षी संख्या 1 का उक्त विवादित स्थान पर कब से कब्जा है तथा कितना निर्माण हो चुका है। ग्राम पंचायत द्वारा गठित तीन सदस्यीय कमेटी द्वारा मौका रिपोर्ट कब तैयार की गई तथा कब शामिल पत्रावली की गई इसका भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अंकन नहीं है। प्रार्थीया द्वारा दिनांक 07.04.21 को लिखित आपत्ति की गई जिसका निस्तारण किये बिना ही ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या 1 को पटटा जारी कर दिया। ग्राम पंचायत 100 वर्ग मी0 का ही पटटा जारी कर सकती है लेकिन विपक्षी संख्या 1 को नियम विरूद्ध 166 वर्ग गज का पटटा जारी किया गया है। विपक्षी संख्या 1 के पुत्र के नाम पुश्तैनी मकान का पटटा बना लिया तथा विपक्षी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत खण्डार से साज कर प्रार्थीया की जमीन का नियम विरूद्ध पटटा प्राप्त कर लिया है जो निरस्त योग्य है। अन्त में वकील निगरानीकर्ता ने ग्राम पंचायत खण्डार द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 06.04.2021 व इसके आधार पर जारी किया गया पट्टा संख्या 24 दिनांक 02.06.2021 विधि विरूद्ध होने से निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील विपक्षी संख्या 1 ने वकील निगरानीकर्ता की बहस का खण्डन करते हुये बहस में तर्क दिया है कि निगरानीकर्ता के मकान के पश्चिम में निगरानीकर्ता का कभी कोई बाडा या चोक नहीं रहा बल्कि उक्त स्थान सर्वदा से आम रास्ता है। विपक्षी संख्या 1 को आम रास्ते का (भाडवाली जगह का) पटटा जारी नहीं किया गया है बल्कि निगरानीकर्ता द्वारा उक्त आम रास्ते पर किये गये अपने अतिक्रमण को बचाने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के माध्यम से आम रास्ते को कथित बाडा बताने का प्रयास किया है। निगरानीकर्ता का जो मकान है वह भी ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण कर बनाया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या 1 के हक में पूर्व पश्चिम 30 फीट, उत्तर दक्षिण 50 फीट का पट्टा दिनांक 02.06.2021 को जारी किया गया जिसका पंजीयन ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 07.06.2021 को विपक्षी संख्या 1 के हक में कराया गया विपक्षी संख्या 1 ने पंचायत का पंट्टा प्राप्त करने के बाद उक्त भू-भाग में अपना पक्का मकान का निर्माण कर लिया। विपक्षी संख्या1 के मकान में जाने का एकमात्र रास्ता विवादित आम रास्ते की जमीन में होकर है। विपक्षी संख्या 1 के [illegible] स्थित मकान के पूर्व में रास्ता है। इस रास्ते के अतिरिक्त अन्य तीनो तरफ कभी कोई रास्ता नहीं रहा है। निगरानीकर्ता ने उक्त एकमात्र रास्ते की जमीन में दिनांक 05.03.2021 को अतिक्रमण कर जबरन भाड व भट्टी बनाकर व अन्य सामान डालकर रास्ते को रोकने का प्रयास किया है। विपक्षी संख्या 1 के भूखण्ड के दरवाजे पर बोरिया, कट्टे आदि जमाकर व

Signature Not Verified
Digitally signed by Sa...
Date: 2025.12.11 10:...
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

कोई दीवार बनाकर अवरुद्ध कर दिया है। जिसका निगरानीकर्ता को कोई अधिकार हासिल नहीं है बल्कि विपक्षी संख्या 1 को अधिकार हासिल है कि वह अपने मकान में जाने वाले एकमात्र रास्ते को खुलासा करावे ताकि विपक्षी संख्या 1 अपने मकान का उपयोग उपभोग कर सके। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त आम रास्ते पर किये गये अतिक्रमण को हटाने हेतु निगरानीकर्ता को नोटिस जारी किये गये हैं तथा इस संबंध में एक दावा न्यायालय सिविल न्यायाधीश खण्डार में लंबित चल रहा है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा पेश की गई निगरानी खारिज की जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं मनन करने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी विपक्षी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत से निगरानीकर्ता के काबिज स्थल, जिस पर निगरानीकर्ता का खजूरा का झाड़ लगा हुआ है, का गुपचुप तरीके से पट्टा प्राप्त कर लेने के कारण विपक्षी संख्या 1 को ग्राम पंचायत खण्डार द्वारा जारी किये गये पट्टा संख्या 24 दिनांक 02.06.2021 को निरस्त करने हेतु पेश की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा विपक्षी संख्या 1 द्वारा बहस के दौरान पेश किये गये दस्तावेजातों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि निगरानीकर्ता एवं विपक्षी संख्या 1 के मध्य मूल विवाद जिस स्थल का है उस भूमि का विपक्षी संख्या 1 को पट्टा जारी नहीं हुआ है तथा उक्त विवादित स्थल के संबंध में दोनो पक्षो का एक वाद न्यायालय सिविल न्यायाधीश खण्डार में लम्बित है। उक्त वाद के निर्णय उपरान्त न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही उक्त विवादित स्थल के संबंध में संबंधित द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

अतः उक्त विवेचन के आधार निगरानीकर्ता द्वारा पेश की गई निगरानी खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.06.2021 बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.12.11 10:39:45 IST
Reason: SelfAttested